



292

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5464-II/16

जिला-सीधी

प्रभुनाथ पटेल/ संतोष कुमार सिंह

(1)	(2)	(3)
18.12.18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री वीरेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल पहाड़ी, जिला सिहावल, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 159/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.01.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	<p style="text-align: right;">18-1-19 </p>